HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹ 15,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई।”

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **सुमेरपुर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-329/2017 धारा–302/34 भा0द0सं0** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **डकैती कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तों **1.प्यारेलाल प्रजापति पुत्र अर्जुन** नि0 लालथोक थाना अतर्रा जिला बांदा **2.रामकिशोर प्रजापति पुत्र दशरथ प्रजापति** नि0 माधवगंज कस्बा व थाना आजमगढ़ जिला पन्ना म0प्र0 **3.सुन्दरलाल कुशवाहा उर्फ सदगुरुदेव पुत्र रामप्रसाद** नि0 बांक थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **आजीवन कारावास व ₹ 15,000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

	अभियोजक- एडीजीसी श्री मणिकर्ण शुक्ला		विवेचक- निरी0 महेन्द्र कुमार वर्मा		पैरोकार- थाना सुमेरपुर का0 जगत सिंह